प्रेस नोट दिनांक- 06.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी सैफई के निर्देशन में एसओजी इटावा व थाना बसरेहर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 04.02.2021 को हुई ग्राम प्रधान की हत्या का अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.02.2021 को थाना बसरेहर के बीट आरक्षी को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भदवा सावरान के प्रधान राजकुमार उर्फ बबलू को गोली लग गयी है। इस सूचना पर तत्काल समस्त पुलिस अधिकारियों तथा थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल/मृतक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में गहनता से जांच की गयी तथा घटना के सम्बन्ध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 15/21 धारा 147,148,149,302,120बी भादवि बनाम 05 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त घटना में मृतक का वर्तमान में ग्राम प्रधान होने व समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा उक्त घटना के अनावरण तथा अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में एसओजी इटावा, मॉनिटरिंग सेल व थाना बसरेहर से 03 टीमों का गठन किया गया था।

गठित टीमों द्वारा घटना के बाद से लगातार क्षेत्र में निकलकर सभी मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तथा घटना के बाद बीट आरक्षी से हुई वार्ता की कॉल रिकार्डिग के सम्बन्ध में गहनता से जांच की गयी एवं सर्विलांस के माध्यम से सभी इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन करने के उपरान्त मृतक प्रधान राजकुमार उर्फ बबलू के सुरक्षा में लगे/उनके साथी चिन्टू उर्फ बृजकिशोर का नाम प्रकाश में आया तथा पुलिस द्वारा अभी तक की विवेचनात्मक कार्यवाही में अन्य किसी व्यक्ति को नाम प्रकाश में नहीं आया है एवं अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त चिन्टू उर्फ बृजकिशोर को आज दिनांक 06.02.2021 को रिटौली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि हम और मृतक बबलू साथ-साथ थे तथा आपस में तमंचे को चलाने को लेकर बात कर रहे थे तथा तमंचे से अकस्मात गोली चल गयी और बबलू को लगने से उनकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त तमंचे के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया उसने वह तमंचा नगला शिकारिया के पास छुपाया है। जिसे पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में थाना बसरेहर मु0अ0सं0 16/21 धारा 3/25/27 आम्र्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. चिन्टू उर्फ बृजकिशोर पुत्र अरविन्द सिंह नि0 नगला लायक थाना बसरेहर।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा

2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3. 01 खोखा कारतूस

पुलिस टीम- प्रथम टीम- श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी इटावा, श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री मुकेश बाबू चैहान प्रभारी मानिटरिंग सेल मय टीम।

तृतीय टीम- व0उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह थाना बसरेहर मय टीम।

मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद इटावा।